

[ श्री दिगम्बर सिंह ]

जनता कहती है कि भूमि मथुरा की गई, मथुरा जिले की जनता को हानि होगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यमुना का पानी गन्दा होगा। गहरे ट्यूबवैल कारखाने के बास्ते नीचे से पानी निकालेंगे। उससे मथुरा के किसानों के नलकूपों के लिए पानी नहीं रहेगा। ताजमहल को हानि पहुंचेगी। भरतपुर में देश का सब से महत्वपूर्ण पक्षी बिहार (घना) में पक्षी नहीं आएंगे। अनेक बाहर के लोग मथुरा में आकर बस जायेंगे। हानि होगी मथुरा और मथुरा के आसपास की जनता की और लाभ उठावेंगे बाहर के लोग। पैट्रोलियम मंत्रालय के माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अघिलम्ब उचित कार्रवाई करे और जनता में विश्वास पैदा करे ताकि अघिक असन्तोष न फैले। कृष्ण भगवान की पवित्र भूमि में जो लोग देश और विदेश से आते हैं, उनका स्वागत होता है। किन्तु इस असन्तोष के कारण ऐसा न हो कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने कम के खिलाफ आन्दोलन किया था, ब्रजवासियों को भी उसी प्रकार इस असन्तोष के कारण वैसा ही आन्दोलन करना पड़े।

(ii) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF FOODGRAINS TO UTTAR PRADESH FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAMME

श्री जंगल बंशर (गार्जीपुर) से नियम 377 के अधीन लोक महत्व के एक श्वन को उठाना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि कृषि मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

इस समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न न पहुँचाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और झांसी मंडलों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे सभी कार्य ठप्प हो गए हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मामले में मांग और आपूर्ति में बराबर अन्तर रहा है परन्तु इस समय यदि अन्तर बाकी रखा गया तो आने वाले महीने के लिए उत्तर प्रदेश में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस जुलाई के महीने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 97 खाद्यान्न स्पेशलों की मांग की है। इसके विपरीत भारत सरकार ने 64 स्पेशल भेजना मंजूर किया है और जिम रफ्तार से स्पेशल भेजे जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इतना भी पहुँच पाना मुश्किल है।

ऐसी स्थिति में मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश और विशेष कर वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और झांसी मंडलों में उत्तर प्रदेश सरकार की मांग के अनुसार शीघ्रतिशीघ्र खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था करे। यदि जरा भी विलम्ब किया गया तो भयंकर अकाल से पीड़ित यहाँ के लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हो जायेंगे?

(iii) NEED FOR LEGISLATION TO TAKE OVER AUROVILLE AS A NATIONAL MEMORIAL OF SHRI AUROBINDO.

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Under Rule 377, I wish to raise the following matter of public importance:

Several years ago a remarkable project entitled Auroville was started by the Mother of Sri Aurobindo Ashrama of Pondicherry. It was envisaged as a new type of spiritual community where the entire life and activity would revolve around the integral spiritual quest. It included a number of very interesting experimental activities in the field of agriculture, education and community living. As long as the Mother was alive the project continued to grow, but after her death the whole concept has unfortunately become distorted. Endless conflicts have been raging between the Sri Aurobindo Society, which claims exclusive ownership of this vast project, and the 'Aurovillians' who are living there. Unsavory incidents of violence have also occurred, and there have been grave charges levelled by the two parties against each other. Recently there was again a clash over the Matri Mandir which is supposed to be the spiritual centre of Auroville.

A vast project like Auroville involves extensive acquisition of land in the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry; numerous visa and passport problems connected with the many foreigners who are living in Auroville, and extensive developmental and administrative dimensions. Clearly all these are far beyond the capacity of the Sri Aurobindo Society to manage, particularly as the President of this Society has himself been accused of numerous misdemeanours.

It is a tragedy that a magnificent concept like Auroville, which has received recognition from UNESCO

should have become bogged down in petty intrigues and administrative bungling. I would urge that the Government of India should immediately move to take over Auroville as a national memorial of Sri Aurobindo and for this purpose bring a Bill before the Parliament as early as possible.

(iv) SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES AT REASONABLE PRICES.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। चीनी, दाल, तेल, साबुन एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में पुनः वृद्धि हो गयी है। चीनी का दाम कहीं-कहीं तो घाट रूप में प्रति किलो हो गया है, जिससे गरीब आदमी तो उस खरीद भी नहीं सकता। गूड़ की भी कीमत एक माह के भीतर दुगुनी हो गयी है। बेबी-फूड की कीमत प्रायः बढ़ती चली जा रही है। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति में निहत दोष के कारण बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण नहीं स्थापित हो पा रहा है। बहुत सी वस्तुएँ जैसे सीमेंट आदि तो उपभोक्ताओं को मिल भी नहीं पा रही है।

अतः सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये जिससे उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ते दामों पर आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें। बजट पेश होने के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि अत्यन्त चिन्ताजनक है। नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को तत्काल इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।

(v) NEED TO RESUME RELIEF WORK IN THE TRIBAL AREAS OF JHABUA RATALM, DHAR AND KHARGON DISTRICTS MADHYA PRADESH.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में झाबुआ रतनाम, धार, खरगोन जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ एक और अकाल राहत कार्य बन्द कर दिए गए हैं, वहाँ दूसरी ओर कई महीनों की मजदूरी का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है। साथ ही सस्ते अनाज की दुकानों में आदिवासियों का मध्य भोजन मोटा अनाज, ज्वार, मक्का आदि उपलब्ध नहीं है। बाजार में उंचे दामों में अनाज मिल रहा है, जिससे आदिवासी त्रय नहीं कर सकते हैं।

अतः सर्वत्र आदिवासियों में भूखमरी एवं असन्तोष व्याप्त है। राज्य सरकार को निर्देश दिये जायें कि जब तक नई फसल नहीं पके

तब तक राहत कार्य जारी रखे जायें एवं मजदूरी का अविलम्ब भुगतान किया जाये और शासकीय सस्ते अनाज की दुकानों पर मोटे अनाज की व्यवस्था की जाये।

(vi) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF WHEAT FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAMME IN RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान प्रान्त में गेहूँ का स्टॉक जो उनके गोदामों में जमा कर रखा था, उक्त स्टॉक प्रान्त में दस दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया है। जिसके कारण राजस्थान प्रान्त में जिला बाडमेर, जैसलमेर, आदि में अकाल राहत कार्य चलते थे, वह बन्द हो गए हैं। अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहे थे वे सभी बन्द हो गए हैं। सस्ते अनाज की दुकानों में प्रान्त भर में गेहूँ के न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असन्तोष है। गेहूँ के भाव चरम सीमा पर पहुँच गए हैं। अकाल राहत कार्य एवं अनाज के बदले कार्य, फूड फार वर्क नहीं चलने से कुछ जिलों में भूखमरी की स्थिति आ रही है। अतः केन्द्र सरकार तुरन्त राजस्थान प्रान्त में गेहूँ का स्टॉक जल्दी से जल्दी पहुँचा कर राजस्थान की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करे।

(vii) REPORTED VIOLATION OF THE COMPANIES ACT, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND REGULATION ACT, FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT, ETC., BY FOREIGN COMPANIES OPERATING IN INDIA.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been reported that official inspection has brought out that branches and subsidiaries of Foreign Companies operating in India are violating with impunity the Companies Act, Industrial Development Regulation Act (Licencing), Foreign Exchange Regulation Act and MRTP.

The British companies numbering 319 some time ago were on top of the list in this adventure. Although the number has come down because of FERA compulsion, they have increased the remittances considerably. Their assets are going up by leaps and bounds. In 1973-74, the white money value of their assets was